

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2016/128

दायर दिनांक 05.08.2016

वादी	प्रतिवादीगण
1. भंवरी पत्नी सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी नूरपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0	बनाम् 1. मुन्नालाल पुत्र खेताराम 2. शिवलाल पुत्र खेताराम 3. संतोष पत्नी ओमप्रकाश समस्त जाति नायक निवासीगण खुनखुना स्टेशन तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 4. मूलाराम पुत्र भैरूराम जाति मेघवाल निवासी गणेशपुरा तहसील डीडवाना 5. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत  
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188 R.T.Act.


उपरिस्थित :-

1. श्री हकीम खांन अधिवक्ता वादी

--: निर्णय ::--

दिनांक 20.09.2017

विवादित सरहद मौजा खिंचिया बासनी पटवार हल्का चोलू खां तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 240 रकबा 25 बीघा 11 बिस्वा के घोषणा खातेदारी बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादी का वाद दिनांक 20.04.2017 को प्राथमिक डिक्री सादिर कर विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को दिया गया। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्राक 996 दिनांक 26.07.2017 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना के प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर किसी ने आपत्ति पेश नहीं की है। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षत प्राधिकार है तथा इनके द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान सहमत है। अत तहसीलदार डीडवाना के प्रस्तावित विभाजन को स्वीकार कर हस्तगत वाद अन्तिम डिक्री सादिर किया जात है।

  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)


वाद, संख्या-2016/128  
दायर दिनांक 05.08.2016, निर्णय दिनांक 18.09.2017  
भंवरी बनाम मुन्नालाल वगैराह

### आदेश

दावा डिक्री सादिर कर सरहद मौजा खिंचिया बासनी पटवार हल्का चौलू खां तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 240 रकबा 25 बीघा 11 बिस्वा का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवारा कर इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव पत्राक 996 दिनांक 26.07.2017 में वर्णितानुसार भूमि के पक्षकारान को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

  
(उत्तमसिंह शेखावत)  
सहायक कलक्टर  
R.A.S.  
डीसहायक कलक्टर  
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 20.09.2017 को सरे इजलास में सुनाया गया।

  
(उत्तमसिंह शेखावत)  
सहायक कलक्टर  
R.A.S.  
डीसहायक कलक्टर  
डीडवाना  
डीडवाना

डिगरी वमुकदमें इक्तादाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना  
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2016/128

दायर दिनांक 05.08.2016


वादी	प्रतिवादीगण
1. भंवरी पत्नी सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी नूरपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0	वनाम् 1. मुन्नालाल पुत्र खेताराम 2. शिवलाल पुत्र खेताराम 3. संतोष पत्नी ओमप्रकाश समस्त जाति नायक निवासीगण खुनखुना स्टेशन तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 4. मूलाराम पुत्र भैरुराम जाति मेघवाल निवासी गणेशपुरा तहसील डीडवाना 5. तहसीलदार डीडवाना

दावा वाबत  
घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 09.09.2017


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हकीम खान अधिवक्ता वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद मौजा खिंचिया बासनी पटवार हल्का चौलू खां तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 240 रकबा 25 बीघा 11 बिस्वा का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवारा कर इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव पत्राक 996 दिनांक 26.07.2017 में वर्णितानुसार भूमि के पक्षकारान को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुवलिंग.....-..... वाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 09.09.2017 को सरे इजलास जारी की गयी।

  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफारिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफारिक		
मिजान			मिजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)